THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) A total number of 1,09,421 workers have been covered under Voluntary Retirement Scheme of National Renewal Fund, as on 31.3.98, disbursing an amount of Rs. 2019.84 crore.

(c) The National Renewal Fund scheme of retraining and redeployment is open to all rationalised workers in organised sector. A total number of 6,712 workers have been redeployed, as on 31.3.98, under the scheme.

**Industry Growth Centres**

4351. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of industry growth centres allotted to the country, especially in the North East States;

(b) the number of growth centres which have been completed and have started functioning;

(c) whether there is any time-bound programme for completing the construction of the growth centres;

(d) if so, by when; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (e) Under the Growth Centre Scheme, 1988, 71 growth centres have been allotted for development throughout the country of which 9 centres have been allotted to the North East States.

The total number of growth centres approved so far is 66 of which 13 centres have been released full Central assistance of Rs. 10 crores each. Distribution of plots has commenced in 23 centre and the remaining centres are at various stages of development for implementation in the IX plan.

**बाल श्रमिक और बाल शिक्षु में अन्तर**

4352. **श्री चीमन भाई हरीभाई शुक्ला:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल-श्रमिक और बाल शिक्षु में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है;

(ग) देश की पारम्पारिक कलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है; और

(घ) बाल-श्रमिकों के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं की अब तक कितनी बार समीक्षा की गई है?

**श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया):** (क) और (ख) शिक्षु अधिनियम, 1961 और बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बाल श्रमिक और बाल शिक्षु के बीच, विशेष रूप में कोई अन्तर नहीं किया गया है। तथापि, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध की व्यवस्था है।

(ग) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय देश में परम्परागत शिल्पों के विकास और संवर्धन तथा परम्परागत कला को संरक्षित रखने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इनमें शामिल हैं: (i) हुनर सिखाने के लिए दस्तकारों को प्रशिक्षण, (ii) डिजाइन एवं तकनीकी विकास (iii) प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों, हस्तशिल्प प्रदर्शनों, आदि जैसे क्रियाकलापों के लिए विपणन विकास सहायता, (iv) शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता और (v) प्रतिभाशाली दस्तकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना आदि।

इसके अलावा, देश की परम्परागत कला को संरक्षित रखने के लिए क्षेत्रीय हस्तशिल्प क्यूजियम स्थापित करने और समस्याओं की पहचान, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, प्रचार विपणन आदि जैसे अनेक उपायों के माध्यम से लुप्त हो रही शिल्पों के पुनरूज्जीवन के लिए सहायता मुहैया करायी जा रही है।

(घ) बाल श्रम योजनाओं के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यक्रम के प्रबोधन के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से आवधिक समीक्षाएं की जाती है।

**Outstanding statutory dues of workers**

4353. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the details of the recommendations of the Group of Ministries regarding clearance of outstanding statutory dues of workers;

(b) whether Government have taken any decision on the recommendations; and

(c) if any, what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) The final recommendations of the Group of Ministers